



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265471
CG-DL-E-18082025-265471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2025/श्रावण 27, 1947

No. 517]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2025

सं. 35/2025-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 561(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद इसे 'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हों, को जब भारत में आयात हो, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की उक्त धारा के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर से छूट देती है, यथा: -

सारणी

क्र. सं.	शीर्षक	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	5201	कपास

2. यह अधिसूचना 19 अगस्त, 2025, से लागू होगी और 30 सितंबर, 2025 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/288/2021-टीओ(टीआरयू-1)]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2025

No. 35/2025-Customs

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling under the heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the 'Customs Tariff Act'), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act and from the whole of the Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable thereon under the said section of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), namely: -

TABLE

Sl. No.	Heading	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	5201	Cotton

2. This notification shall come into force with effect from the 19th day of August, 2025, and shall remain in force up to and inclusive of the 30th day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190354/288/2021-TO(TRU-I)]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.